

श्रीमती संगीता कुमारी, माननीया स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/3 /379 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे की-	वस्तुस्थिति यह है कि:-
1. क्या यह बात सही है कि कैमुर जिलान्तर्गत दुर्गावती मुख्य नहर की कुल लम्बाई 34.87 कि०मी० है, मुख्य नहर से कुल 09 वितरणियों एवं 01 लघु नहर निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 82.23 कि.मी. है, जिसमे दुर्गावती मुख्य नहर से 800 हेक्टेयर एवं सभी वितरणियों से 18150 हेक्टेयर कुल मिलाकर 18950 हेक्टेयर में खेतों की सिंचाई होती है;	- दुर्गावती नदी पर अवस्थित कुदरा वियर के दाँयें से दुर्गावती मुख्य नहर निःसृत है, जिसकी कुल लम्बाई 34.87 कि०मी० है। इस मुख्य नहर से कुल 07 वितरणी एवं 03 लघु नहर निकलती है। इन नहर प्रणाली से 18950 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। - हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रश्रुगत मुख्य नहर एवं उसके सभी वितरणियों का पुनर्स्थापन कार्य कराया गया है। - खरीफ अवधि 2025 एवं रब्बी 2025-26 में उक्त नहरों के अंतिम छोर तक जलश्राव उपलब्ध कराते हुए सिंचाई सुविधा मुहैया करायी गयी है। - वर्तमान खरीफ़ सिंचाई में भी किसानों के माँग के अनुसार नहर के अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित कराते हुए पटवन कार्य कराया जा रहा है। - वर्तमान मे प्रश्रुगत नहरों के पक्कीकरण का प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि दुर्गावती मुख्य नहर एवं सभी वितरणियों के पक्कीकरण नहीं होने से Seepage loss होने से सभी वितरणियों के अन्तिम बिन्दु तक पानी नहीं पहुँच पाता है तथा पानी के बहाव में रुकावट होता है;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुर्गावती मुख्य नहर एवं वितरणियों को पक्कीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26/वि०स०-02-55/2026

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि०स०-02-55/2026

पटना/दिनांक :

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल-03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि०स०-02-55/2026 5029

पटना/दिनांक : 31/8/2026

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई०टी० सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/8/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव